



न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं.

/2012 निगरानी

R-511-PBR/2012

(1) कमला पत्नी गंभीर सिंह, आयु 58 वर्ष, निवासी-बारादरी, मुरार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

(2) श्रीमती पूर्णिमा पत्नी मुकेश सिंह, आयु 25 वर्ष, निवासी- बारादरी, मुरार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

(3) श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी मानसिंह, आयु 53 वर्ष, निवासी- बारादरी, मुरार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

(1) रामसिंह पुत्र श्री अतिराज (अंतराम) रावत निवासी-ग्राम निकोड़ी, हाल निवास मुसाहारी तहसील-भितरवार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

- रिस्पोंडेंटस

(2) धीरज सिंह आयु लगभग-47 वर्ष

(3) रमेश पुत्र श्री दंगल सिंह, आयु लगभग-43 वर्ष, निवासीगण-निकोड़ी, हाल निवास मुसाहारी तहसील-भितरवार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

- प्रोफार्मा-रिस्पोंडेंटस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरुद्ध

आदेश दिनांक 07.09.2009 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी

भितरवार जिला-ग्वालियर




41
3.2.12
Pradeep K. Shrivastava
Adv.

परीषद् के अधीन
आज दि 2-3-12 को
मुद्रा
2-3-12
जर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 511/पीबीआर/2012 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> बी3र</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> 6/3/19</p>